**प्रेस नोट दिनांक-01.08.2025**

**थाना आंवला जनपद बरेली ।**

**थाना आंवला #bareillypolice द्वारा थाना आंवला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 544/25 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस से संबंधित एक नफर वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-** दिनांक 31.07.2025 को श्री ओमसरन पुत्र स्व0 तेजपाल निवासी ग्राम ब्यौली थाना बजीरगंज जिला बदायूँ की लिखित तहरीर बाबत ग्राम कंथरी के पास रात्रि में करीब 12.15 बजे मोटर साईकिल से अपने घर को जाते समय 3-4 अज्ञात लोगों के द्वारा रोककर खुद की पत्नी श्रीमती अमरवती से मंगलसूत्र , सोने के कुन्डल, तथा खुद से एवं उसकी पत्नी से 8-10 हजार रुपये लूट लेने तथा विरोध करने पर उसकी पत्नी श्रीमती अमरवती को धारदार हथियार से मारपीट कर गम्भीर रुप से घालय कर देने तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो जाने के संबंध में दाखिल के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 544/25 धारा 309(6)/103(1) बीएनएस बनाम 3-4 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा ग्रहण कर प्रारम्भ की गयी तथा मृतका श्रीमती अमरवती के पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी बरेली भिजवाया गया । घटना की सूचना उच्चाधिकारीगण को दी गयी , जिस पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बरेली, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अपराध बरेली एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी आंवला बरेली द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया तथा विवेचना हेतु उचित दिशा निर्देश दिये गये थे । जिसमें विवेचना के दौरान ओमसरन पुत्र स्व0 तेजपाल निवासी ग्राम ब्यौली थाना बजीरगंज जिला बदायूँ व मन्नत सैनी उर्फ मन्नत दीप उर्फ निधि उम्र करीब 25 वर्ष पुत्री गोपाल निवासी मोहल्ला बिहारीपुर वाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली जिला बरेली हाल निवासी मौहल्ला करगैना थाना सुभाषनगर बरेली का नाम प्रकाश में आया । अभियुक्त ओमसरन उपरोक्त को पूर्व गिरफ्तार किया जा चुका है तथा मुकदमें में धारा 309(6) बीएनएस का लोप किया गया तथा धारा 230/238/240/61(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है ।

**सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही**:- प्रभारी निरीक्षक द्वारा उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में विवेचना की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन कर पतारसी, सुरागरसी हेतु मामूर की गयी थी । गठित टीम उ0नि0 श्री कैलाश चन्द मय हमराही टीम का0 मो0 2079 हसीब खां, का0 3404 कपिल कुमार, म0का0 772 दयावती थाना आंवला बरेली द्वारा आज दिनांक 01.08.2025 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित एक नफर अभियुक्ता मन्नत सैनी उर्फ मन्नत दीप उर्फ निधि उम्र करीब 25 वर्ष पुत्री गोपाल निवासी मोहल्ला बिहारीपुर वाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली जिला बरेली हाल निवासी मौहल्ला करगैना थाना सुभाषनगर बरेली को उसके किराये के मकान मोहल्ला करगैना थाना सुभाषनगर बरेली से मुकदमा उपरोक्त में अन्तर्गत धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

**<u>प्रकाश में आये अभियुक्ता की गिरफ्तारी का विवरणः-</u>**

1. मन्नत सैनी उर्फ मन्नत दीप उर्फ निधि उम्र करीब 25 वर्ष पुत्री गोपाल निवासी मोहल्ला बिहारीपुर वाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली जिला बरेली हाल निवासी मोहल्ला करगैना थाना सुभाषनगर बरेली।

**<u>पूछताछ विवरणः-</u>** अभियुक्ता मन्नत दीप उर्फ निधि उम्र करीब 25 वर्ष पुत्री गोपाल निवासी मोहल्ला बिहारीपुर वाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली जिला बरेली हाल निवासी मोहल्ला करगैना थाना सुभाषनगर जिला बरेली मो0न0 7055977297 ने पूछने पर बताया कि साहब मेरा सही नाम मन्नत दीप उर्फ निधि है । मेरे पिता जी का नाम गोपाल है । मैं मोहल्ला बिहारीपुर बाल्मीकि वस्ती थाना कोतवाली जिला बरेली की रहने वाली हूं मेरी शादी करीब 10-11 साल पहले आकाश बाल्मीकि मोहल्ला हाथी खाना जिला रामपुर के साथ हुई थी जिससे मेरे तीन बच्चे पैदा हुये मेरे दो बच्चे बडे है । एक बच्चा ख्वाहिश मेरे साथ में है जिसकी उम्र करीब 2.5 वर्ष है । मेरा पति अक्सर शराब पीता था और मुझे मारपीट करता था जिससे मैं काफी तंग आ गयी थी मैने करीब एक साल पहले अपने पति आकाश को छोड दिया था करीब 6-7 महीने पहले मेरी मुलाकात ओमसरन से हुई थी और तभी से मैं ओमसरन के साथ रिलेशन में रह रही थी ओमसरन के द्वारा ही मुझे मोहल्ला करगैना में किराये का मकान लेकर दिया था जहां पर ओमसरन भी आता जाता रहता था मैने अभी ओमसरन से शादी नहीं की है । मुझे पता चला कि ओमसरन शादी शुदा है । इसलिये मैने ओमसरन से कहा कि यदि मेरे साथ रहना है तो अपनी पत्नी से सम्बन्ध खत्म करना होगा इस पर ओमसरन ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वह अपनी पत्नी को छोड देगा और मुझसे शादी कर लेगा । किन्तु ओमसरन ने ऐसा नहीं किया मुझे लगा कि ओमसरन अब मुझे भी छोड देगा इसलिये मैने ओमसरन पर उसकी पत्नी को छोडने का या रास्ते से हटाने का दबाब बनाना शुरु कर दिया था और दो तीन दिन पहले मैने फिर से ओमसरन से उसको उसकी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिये कहा तब ओमसरन ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिये योजना बनायी और उसी योजना के अनुसार ओमसरन ने अपनी पत्नी अमरवती को हमारे बीच से रास्ते से हटाने के लिये हत्या कर दी ।

**<u>गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-</u>**

स्थान- किराये का मकान मौहल्ला करगैना थाना सुभाषनगर बरेली, दिनांक 01.08.2025 दिन 07.45 बजे ।

**अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-**

**<u>अभियुक्ता मन्नत दीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>**

**1.** मु0अ0सं0 544/25 धारा 103(1)/ 61(2) बीएनएस थाना आंवला बरेली ।

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-</u>**

1. उ0नि0 श्री कैलाशचन्द्र थाना आंवला जनपद बरेली ।
2. का0 2079 मो0 हसीब थाना आंवला जनपद बरेली ।
3. का0 3404 कपिल कुमार थाना आंवला जनपद बरेली ।
4. म0का0 772 दयावती थाना आंवला जनपद बरेली ।